न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–87 / 2018

1. श्री ईश्वरलाल पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्री घनश्याम पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
3. श्री कैलाश पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
4. श्री प्रकाश पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
5. श्री मांगीलाल पिता नोन्दराम जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

–– वादीगण

बनाम

1. श्री ताराचन्द पिता जानीराम जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0 मृतक के बजाएः–
   1/1 श्री दीपक पिता ताराचन्द सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
2. श्री दिनेश पिता जानीराम जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
3. श्रीमती मीनादेवी पिता जानीराम जाति सिन्धी निंवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
4. श्रीमती रूकमणीदेवी पिता जानीराम जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
5. श्री जीतेद्र कुमार पिता रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
6. श्री दिलीप कुमार पिता रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
7. दीक्षा कुमारी पुत्री रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
8. पुष्पा बाई वेवा रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
9. सीता देवी वेवा जानीरामजी जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0 मृतक के बजाए प्रतिवादी कमांक 1–8
10. श्री कन्हेयालाल पिता नारायणदास जाति सिन्धी निवासी बंघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0 मृतक के बजाएः–

10.1 यश पिता कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0
10.2 लता पिता कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0
10.3 नेना पिता कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0
10.4 मीरादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0

11. पूजा पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
12. भावना पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
13. अनिता पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
14. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–188–209 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री रोहीताश्व पंचौली– अभिभाषक वादी

श्री अंकित पालीवाल– अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 07.07.2021

1. पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ से पुनः सुनवाई हेतु रिमान्ड होकर प्राप्त हुई जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट. में पेश किया कि मौजा अचारी पटवार हल्का सुबी तहसील छोटीसादड़ी में पुरानी आराजी संख्या 210/01 रकबा 10 बीघा 05 बीस्वा व आराजी संख्या 242/01 रकबा 63 बीघा 16 बीस्वा वादीगण की पैतृक आराजीयात है जिसके बाद से सेटलमेन्ट के बाद नए आराजी नं 563 रकबा 2.26 हैक्ट0,आराजी नं 610 रकबा 1.56 हैक्ट0, आराजी नं 611 रकबा 4.78 हैक्ट0, आराजी नं 612 रकबा 1.88 हैक्ट0, आराजी नं 613 रकबा 1.62 हैक्ट0, आराजी नं 615 रकबा 0.60 हैक्ट0, आराजी नं 618 रकबा 1.83 हैक्ट0 बनाये गए उक्त नए आराजी में वादीगण के पूर्वजों का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाए गये पर्चा लगान बनायी गई उस समय नये आराजी नं 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 व आराजी नं 611 रकबा 4.78 हैक्ट0 पर पूरी जमीन में यह 1/2 हिस्सा होने से बटवारें में उक्त दोनों नंबर की जमीन वादीगण के पूर्वजों के बटवारे में पुराने नंबर से हिस्से में मिली थी [illegible]

पूवजों के देहान्त के बाद उक्त आराजीयात का उपभोग–उपयोग वादीगण करता आ रहा है। व कास्तकारी करता आ रहा है।

2. वादीगण ने वाद में आगे अंकित किया की पूवजों के समय से नाम पर चली आ रही जमीन पर वादीगण का बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी हक अधिकार के बिना किसी आदेश के आराजी नं 563, 610, 611, 612, 613, 615, 618 को स्व. नारायण दास पिता विरूमल सिन्धी के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी व उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान के नाम विरासत से इन्तकाल भी खुल गया वर्तमान में वादीगण के हिस्से की आराजी संख्या 610 एवं 611 प्रतिवादीगण के नाम नाम रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है पर उक्त आराजी पर कभी भी प्रतिवादीयों का कब्जा नही रहा एवं वर्तमान में भी नही है। जबकि मौके पर भी आराजी संख्या 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 व आराजी संख्या 611 रकबा 4.78 हैक्ट0 पर बिना किसी अवरोध के काबिज होकर वादीगण काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण उक्त दोनों नंबर की आराजीयात को अपनी खातेदारी की घोषणा करा कर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी होने से वाद घोषणा का पेश है।

3. उक्त पत्रावली में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2021 को एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ यहा पेश की गई थी जिससें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ ने अपील को स्वीकार कर दिनांक 23.11.2021 को पारित निर्णय को निरस्त कर मृतक ताराचंद एवं मृतक सीताबाई के कायम मुमकाम को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये है।

4. पत्रावली को पुनः नबंर पर लिया गया तथा मृतक ताराचंद एवं मृतक सीताबाई के कायम मुकामी पेश करने हेतु नियत किया गया दिनांक 05.07.2021 को कायम मुकामी पेश की गई जिसको रेकार्ड पर लिया गया तथा दिनांक 05.07.2021 को ही न्यायालय में प्रतिवादीगणों ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि मौजा अचारी की आराजी संख्या 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 आराजी संख्या 611 रकबा 4.78 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वादीगणों के पक्ष में निर्णय एवं ड्रिकी पारित कि जावें तो हमें कोई आपत्ति नही रहेगी तथा उक्त

उपखण्ड अधिकारी

विवादग्रस्त आराजी का भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो हम प्रतिवादीगणों की जिम्मेदारी होगी।

5. पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा सलग्न दस्तावजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ निर्णय की पालना में मृतक ताराचंद एवं मृतक सीताबाई के कायम मुकामी पेश की गई तथा प्रतिवादीगणों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया दौरान सुनवाई प्रतिवादीगणों ने राजीनाम पेश कर वादीगणों के पक्ष में निर्णय करने का सहमति जाहिर की गई उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है मौजा अचारी पटवार हल्का सूवी के आराजी संख्या 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 611 रकबा 4.78 हैक्ट0 को नये राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं।

6. अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गांव अचारी पटवार हल्का सुवी तहसील छोटीसादड़ी में स्थित आराजी संख्या 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 611 रकबा 4.73 हैक्ट0 पर वादी क्रमांक 1 से लगायत 04 का 1/2 हिस्सा एवं वादी क्रमांक 05 का 1/2 हिस्सा उक्त हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि आराजी संख्या 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 09 एवं आराजी संख्या 611 रकबा 4.73 हैक्ट0 पर प्रतिवादी क्रमांक 10 से लंगायत 13 के नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर वादीगण के नाम उपरोक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें एवं प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगणों की आराजियात में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें एवं न ही करावें। ड्रिकी पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़

मुल वाद में डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बेइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः—87 / 2018

1. श्री ईश्वरलाल पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
2. श्री घनश्याम पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
3. श्री कैलाश पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
4. श्री प्रकाश पिता ऊंकारलाल जाति कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
5. श्री मांगीलाल पिता नोन्दराम जाति कुमावत निंवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0

— वादीगण

बनाम

1. श्री ताराचन्द पिता जानीराम जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0 मृतक के बजाएः—
   1/1 श्री दीपक पिता ताराचन्द सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
2. श्री दिनेश पिता जानीराम जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
3. श्रीमती मीनादेवी पिता जानीराम जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
4. श्रीमती रुकमणीदेवी पिता जानीराम जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
5. श्री जीतेद्र कुमार पिता रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
6. श्री दिलीप कुमार पिता रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
7. दीक्षा कुमारी पुत्री रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
8. पुष्पा बाई बेवा रमेशचन्द्र जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0

...वी बेवा जानीरामजी जाति सिन्धी निवासी हुडका कोलोनी,नीमच तहसील व जिला नीमच म0 प्र0 मृतक के बजाए प्रतिवादी कमांक 1–8

10. श्री कन्हेयालाल पिता नारायणदास जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0 मृतक के बजाएः–

 10.1 यश पिता कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0

 10.2 लता पिता कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0

 10.3 नेना पिता कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0

 10.4 मीरादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील–जिला नीमच म0 प्र0

11. पूजा पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
12. भावना पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
13. अनिता पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी बघाना तहसील व जिला नीमच म0 प्र0
14. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88–188–209 आर.टी. एक्ट 1955</u>

दिनांकः–07.07.2021

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादी अधिवक्ता वादी श्री रोहिताश्व पचौली मिनजानिब मुदइ व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अंकित पालीवाल मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं राजीनामा अनुसार डिक्री की जाती है कि मौजा गांव अचारी पटवार हल्का सुबी तहसील छोटीसादड़ी में स्थित आराजी संख्या 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 611 रकबा 4.73 हैक्ट0 पर वादी कमांक 1 से लगायत 04 का 1/2 हिस्सा एवं वादी कमांक 05 का 1/2 हिस्सा उक्त हिस्से अनुसार वादीगणों को प्रतिवादीगणों के विरूद्ध खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि आराजी संख्या 610 रकबा 1.56 हैक्ट0 पर प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत 09 एवं आराजी संख्या 611 रकबा 4.73 हैक्ट0 पर प्रतिवादी कमांक 10 से लगायत 13 के नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर वादीगणों के नाम उपरोक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगणों की आराजियात में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें एवं न ही करावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 07.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला-प्रतापगढ़